न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला शाहपुरा (राज.)

प्रकरण संख्या – 70/2024 पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 गोपाल पिता हीरा बैरवा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
2 घीसू पिता हीरा बैरवा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
3 महावीर पिता हीरा बैरवा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
4 यशपाल पिता रामलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
5 रैदास पिता हीरा बैरवा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा

-----(प्रार्थीगण)

बनाम

1 घीसा पिता भैरू दरोगा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
2 चांदू देवी पत्नि चंदा बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
3 रतनलाल पिता चंदा बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
4 सोजी लाल पिता चंदा बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
5 खमाण पिता रामा बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
6 बन्ना लाल पिता रामा बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
7 श्रीकिशन पिता अर्जुन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
8 गोपाल पिता अर्जुन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
9 हेमराज पिता ओनाड गुर्जर उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
10 कन्या पत्नी नन्दा कुमावत उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
11 सजनी पत्नी लादू कुमावत उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
12 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा

------(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता----- श्री योगेश कुमार आगाल

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय **दिनांक – 15.05.2024**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 28.04.2024 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम कनेछनखुर्द पटवार गण्डल कनेछनखुर्द भू.अ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 98 के आ.न. 16, 17, 18, 2, 21, 22, 3, 4 किता 8 रकबा 1.75 हैक्टयर भूमि स्थित हैं।** उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 29.04.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अत: प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित मे स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कनेछनखुर्द पटवार मण्डल **कनेछनखुर्द भू.अ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 98 के आ.न. 16, 17, 18, 2, 21, 22, 3, 4 किता 8 रकबा 1.75 हैक्टयर** भूमि की पत्थरगढ़ी बसागलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक कनेछनकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बावत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। गुरतकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला शाहपुरा